

सं० सं० 14/एम 11-1/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अलाउद्दीन मियां पिता-नकछेद मियां ग्राम-पो०-दुबौली थाना-पानापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	विरेन्द्र पंडित पिता-सहदेव पंडित ग्राम-पो०-पुछरी थाना-बनियापुर जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,75,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,75,000/- (दो लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 388035 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388035...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

993 (14)

पटना, दिनांक

11.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.6.16

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोनी देवी पति-विनोद सिंह ग्राम-केशोचक पो0-थाना-चिकसौरा जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	अरुण रावत पिता-विष्णु रावत ग्राम-भलुका पो0-मलयपुर थाना-बरहट, जिला-जमुई	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	कमलदेव नारायण सिंह पिता-शिवजी सिंह ग्राम-भरपुरा पो0-थाना-सोनपुर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	उमेश कुमार राय पिता-अवध राय ग्राम-धर्मागत, पो0-मुजौना थाना-दरियापुर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	खैरून निशा पति-स्व0 मो0 इजराईल ग्राम+पो0-मनोहर छपरा थाना-वरुराज जिला-मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

	ग्राम-खरहैया बस्ती पो0-थाना+जिला-अररिया		
7	मास्टर दिगम्बर कुमार पिता-अरविन्द यादव ग्राम-मिलीक पोखर कन्ना पो0-थाना-मनीहारी जिला-कटिहार	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
8	लीला देवी पति-विजय कुमार मंडल ग्राम-नया टोला सुन्दरपुर बेला पो0-लालबाग थाना-वि0वि0 जिला-दरभंगा	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,00,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000 /-(पांच लाख) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~388033~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **5020 418 8262** खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **इलाहाबाद बैंक**, शाखा का नाम - **हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980** में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~388033~~.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

989(14)

पटना, दिनांक 11.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.11.16

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुनीता शर्मा पति-वाचस्पति पाण्डेय ग्राम-पो०+थाना-मराची जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	अखिलेश चौधरी पिता-स्व. द्वारिका चौधरी ग्राम-गोपालनगर चकिया पो०-सेन्द्रल जेल थाना-भुफसिल जिला-बक्सर	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
3	श्रीराम देव साह पिता-उतीम साह ग्राम-अब्बुपुर पो०-छतौना थाना-नावकोठी जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	मो. मकसुद आलम पिता-स्व. मो० हबीब हुसैन ग्राम-चौयदीसी पो०-सा० कमाल थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
5	बटोरन ठाकुर पिता-स्व. शनिचर ठाकुर ग्राम-मियांचक चट्टीरोड पो०+थाना+जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।

6	राज कुमार यादव पिता-योगेन्द्र यादव ग्राम-बकरा डांगी पो0-कुजरी थाना-पलासी जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	नुरैन अंसारी पिता-नजरुद्दीन अंसारी ग्राम-कालुपुर पो0-तुजारपुर थाना-खैरा, जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 45,000 /- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
8	घनश्याम रजक पिता-बद्री रजक ग्राम-बखरी पो0-नरसिंहबाग थाना-जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 85,000 /- (पचासी हजार) स्वीकृत।
9	मास्टर रितिक कुमार पिता-जितेन्द्र साह ग्राम-पो0-बडी बलीया था0-बलीया, जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	राज किशोर यादव पिता-ब्रह्मदेव यादव ग्राम-मुरली, पो0-रसलपुर थाना-सलखुआ जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 45,000 /- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 9,50,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,50,000 /- (नौ लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 338040 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शोध विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388040 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-


ज्ञापांक

997(14)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 11.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों का / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सोना देवी पति-नन्द किशोर दुबे ग्राम-बनकटवा पो०-रढीया थाना-पहाड़पुर जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आर.नं०-76227 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
2	बीबी महीरून पति-मो० उस्मान ग्राम-सतकोदरीया पो०-अचलपुर थाना-राघोपुर जिला-सुपौल सी.आर.नं०-36834 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
3	जागो यादव पिता-खुशी लाल यादव ग्राम-नया नगर सितुहर पो०-सितुहर थाना-जिला-सुपौल सी.आर.नं०-50010 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
4	कृष्णा देवी पति-अरुण सिंह ग्राम-पो०-डफरपुर थाना-नावकोठी जिला-बेगुसराय सी.आर.नं०-69497 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।



5	बहादुर मंडल पिता-जामुन मंडल ग्राम-मधुबनी पो0-इसरायन कला थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-63619 / 16	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
6	फुलकुमारी देवी पति-नारायण रजक ग्राम-थम्हन पो0-चरका पत्थर थाना-सोनो जिला-जमुई सी.आरनं0-83806 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	रीता देवी पति-चन्द किशोर सादा ग्राम-चमेलवा पो0-नौआबाखर थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सी.आरनं0-65097 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
8	शंभु कुमार पिता-स्व. आसो यादव ग्राम-पिटाही पो0-मठाही थाना-जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-49703 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
9	रॉकी कुमार पिता-इनदर राम ग्राम-महकार बीगहा पो0-प्रसडीहा थाना-चंडी जिला-नालंदा सी.आरनं0-84047 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
10	राम परीक्षण ठाकुर पिता-स्व0 घोघारी ठाकुर ग्राम-मानीकपुर नरोतम पो0-श्रीसिया थाना-काँटी जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-80779 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
11	सुमिहा देवी पति-नन्द किशोर सिंह ग्राम-पैगम्बरपुर पो0-सोन्धो, थाना-गोरौल जिला-वैशाली सी.आरनं0-80987 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

12	बासुदेव यादव पिता-चेतन यादव ग्राम-मोरमा पो0-डीहरा थाना-जिला-लखीसराय सी.आरनं0-28579 / 15	कैंसर रोग	₹ 50,000 / -(पचास हजार) स्वीकृत।
13	सत्येन्द्र शर्मा पिता-रामदेव शर्मा ग्राम-बुधलाल भगतगली छोटकी डेल्हा, पो0-आर0एस0 गया थाना-डेल्हा जिला-गया सी.आरनं0-20154 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	मो0 सलाउद्दीन पिता-शहीद मियां ग्राम-रहमतगंज पो0+थाना-मसौढी जिला-पटना सी.आरनं0-78088 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
15	धिरेन्द्र शर्मा पिता-चित नारायण शर्मा ग्राम-पो0-मानीकपुर थाना-जिला-मधेपुरा सी.आरनं0-75456 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	नुनु कुमार पिता-शत्रुघ्न राम ग्राम-नेजामपुर पो0-सिघाड़ा थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना सी.आरनं0-77664 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	बिजली बैठा पिता-स्व. सुख लाल बैठा ग्राम-रामपुर पो0-रामपुर सघरी थाना-औराई जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-54300 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
18	अशरफी देवी पति-श्री राम सिंह ग्राम+पो0-करूप थाना-कासकाट जिला-रोहतास सी.आरनं0-73242 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।



19	मिथलेश देवी पति-मोहन साह, ग्राम- रीगा रोड, वार्ड नं०-01 जानकी स्थान पो०-थाना+जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं०-87410 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
20	खैरून निशा पति-अब्दुल मजीद ग्राम-मंझोली पो०-मिलीक पहलागढ थाना-प्राणपुर जिला-कटिहार सी.आरनं०-35772 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
21	रुबी देवी पति-दिलिप ठाकुर ग्राम-अंदर किला नखास चौक पो०-थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सी.आरनं०-52503 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
22	रघुनाथ ठाकुर पिता-राम नन्दन ठाकुर ग्राम-राम नगरा पो०-सिरौली थाना-रिगा जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं०-64206 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
23	जरीना खातुन पति-मो० रहीम खान ग्राम-सहरसा बस्ती वार्ड नं०-31 पो०+थाना+जिला-सहरसा सी.आरनं०-66469 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
24	रामवतार चौधरी पिता-इन्द्रदेव चौधरी ग्राम+पो०-कौरा थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर पंजीनं०-ओ.पी.डी / 077354	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
25	देव नन्दन प्रसाद पिता-अकलु महतो ग्राम-पो०-खलसा ढीबरी थाना-मुफसिल जिला-नवादा सी.आरनं०-38988 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

26	कामेश्वर प्रसाद पिता-गुरु सहाय महतो ग्राम-मगुरा पो0-बाघी बरडीहा थाना-जिला-नवादा सीआरनं0-84559 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
27	मनमोहन केसरी पिता-स्व. हरिमोन केसरी ग्राम-चौक बाजार गुलजार पोखर पो-मुंगेर थाना कोतवाली जिला-मुंगेर सीआरनं0-58625 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
28	शकीला खातुन पति-मो0 असगर ग्राम-पो0+थाना-राजापाकड जिला-वैशाली सीआरनं0-79261 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
29	रीना देवी पति-विनोद कुमार ग्राम-नवागढी पो0-चौद चौरा थाना-विष्णुपद, जिला-गया सीआरनं0-56074 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
30	शिल्पी देवी पति-नीरज कुमार तिवारी ग्राम-मुसहरी पो0-धर्मपुर, थाना-साठी जिला-प0 चम्पारण सीआरनं0-55478 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
31	रंजु देवी पति-राम सागर साह ग्राम-पो0-मनीकौली थाना-सिंहवाड़ा जिला-दरभंगा सीआरनं0-72943 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
32	बबीता देवी पति-सुबेदार यादव ग्राम-चक्की मथुराडेरा पो0-चक्की, थाना-ब्रहमपुर जिला-बक्सर सीआरनं0-71196 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 / -(अस्सी हजार) स्वीकृत।
33	सुनील कुमार पिता-सुखदेव रजक ग्राम+पो0-तमौट परसा थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा सीआरनं0-88307 / 16	किडनी रोग	₹ 30,000 / -(तीस हजार) स्वीकृत।

34	सुन्नर देवी पति-गणेश भगत ग्राम-माली टोला महनार पो0+थाना-महनार जिला-वैशाली सीआरनं0-125666 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
35	सोफीतानन्द पासवान पिता-स्व. प्रेम लाल पासवान ग्राम+पो0-डहरीया थाना-छातापुर जिला-सुपौल सीआरनं0-84283 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
36	गुलाब देवी पति-रामरूप पासवान ग्राम-बलभद्रपुर पो0-दुधपुरा थाना-जिल-समस्तीपुर सीआरनं0-88062 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
37	जय लाल गुप्ता पिता-स्व0 श्री लाल हलवाई ग्राम-बैठकी गली पो0+थाना-हिसुआ जिला-नवादा सीआरनं0-118207 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 25,70,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 25,70,000/- (पच्चीस लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 वी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **388023**...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 388023 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

992 (14)

पटना, दिनांक 11.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
फोर्ड हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अमेरिकन राम पिता-वचन राम ग्राम-भुईली पो०+थाना-एकमा जिला-सारण	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	प्रहलाद यादव पिता-श्री सुन्दर यादव ग्राम-गेरुआरी पो०-शवानो थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना	ब्रेन रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	मुकेश कुमार पिता-सुरज राय ग्राम-तेलीया सराय पो०-थाना-सराय जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
4	राम नन्दन सिंह पिता-स्व. विशुनदेव सिंह ग्राम-पो०+थाना-शालीमपुर जिला-पटना	किडनी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
5	मो० नुर हसन पिता-मो० रहमान मरहुम ग्राम-सैदपुरधावा पो०-थाना+जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
6	पिंटु सिंह पिता-सुनारीका सिंह ग्राम-दर्शन छपरा पो०-जमुआव, थाना-उदवन्तनगर जिला-भोजपुर, आरा	ब्रेन सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

M

7	रिपु कुमार पिता-उपेन्द्र नरसरीया ग्राम-बाला बाखर पो0-गेहुमाबैरीय थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
8	शांति देवी पति-देवजी राय ग्राम-बेझाडीह पो0-लगुनीया रघुकंठ थाना-जिला-समस्तीपुर	पेट रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
9	नरेन्द्र कुमार पिता-रामजीवन सिंह ग्राम-राम लगन बिगहा पो0-मखदुमाबाद थाना-परासी जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	जुली खातुन पति-मो0 शमीम ग्राम-आलमगंज बड़ी मस्जिद गली, पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगंज जिला-पटना	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
11	हरि पंडित पिता-फेंकन पंडित ग्राम-शहबाजपुर धेबई पो0-इंजौर थाना-मेंहदिया जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 48,000/- (अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 7,57,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,57,000 / (सात लाख सनतावन हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 398024.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

(Handwritten signature)

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...388024.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

994(14)

पटना, दिनांक

11-07-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.7.16

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

आस्था लोक हॉस्पिटल,

प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय

कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रजनी कुमारी पति-कृष्ण मालाकार ग्राम-मुस्सी पो०+थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	संजीव कुमार पिता-विद्यानन्द मंडल ग्राम-खास हलहलीया पो०+थाना-सिमराहा जिला-अररिया	हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	रणजीत सिंह पिता-भगवान सिंह ग्राम-पो०-भरहोग थाना-बिन्द जिला-नालंदा	घुटना प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	कंचन सिंह पिता-स्व. परमानन्द सिंह ग्राम-तुरपट्टी पो०+थाना-हथुआ जिला-गोपालगंज	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
5	कविता देवी पति-हरदोई नोनीया ग्राम-रोहुआ पो०-मुसहरी फार्म थाना-मुसहरी जिला-मुजफ्फरपुर	हिप रिप्लेसमेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

6	किरण देवी पति-हरिनाथ साह ग्राम-पो0-दारहपुर थाना-औद्योगिक जिला-बक्सर	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
7	प्रदीप केसरी पिता-अरविन्द केसरी ग्राम-मानपुर पहनी पो0-थाना-बुनियादगंज जिला गया	हिप रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
8	उदय राम पिता-बेंगा राम ग्राम-बसनीयावन पो0-छतीयान थाना-हरनौत, जिला-नालंदा	नी रिपलेस्मेंट रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत ।
			कुल ₹ 9,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 9,00,000/- (नौ लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 388032 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपशोषिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 388032 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

988(14)

पटना, दिनांक 11-07-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

211-11-11

प्रेषक

डा० शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान,
पटना 800004

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सगीर खॉन पिता-सुकठ खान ग्राम-बेदवलीया पो०-गजीयापुर थाना-आन्दर, जिला-सिवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) का क्रास चेक सं० ~~388037~~मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

झापांक

996 (14)

पटना, दिनांक 11.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/संबंधित मरीजों को/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श. निदेश

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
आल इंडिया इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनोष कुमार पिता—दयानन्द शर्मा ग्राम—गाजाचक मोहम्मदपुर पो०—शोरमपुर, थाना—जानीपुर जिला—पटना	हिप रिपलेसेंट रोग	₹ 1,00,000 /—(एक लाख) स्वीकृत।
2	नाजनी खतुन पिता—मो० जहाँगीर ग्राम—चुनौटी कुंआ पो०—फुलवारीशरीफ थाना—फुलवारी जिला—पटना	हृदय रोग	₹ 50,000 /—(पचास हजार) स्वीकृत।
3	दीपक कुमार पिता—शकेश रौशन ग्राम—अगरवा पो०—मोतिहारी थाना—टाउन जिला—पूर्वी चम्पारण	कोकलीयर इन्फ्लान्ट रोग	₹ 5,80,000 /—(पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	अर्पित कुमार पिता—पप्पु कुमार ग्राम—न्यु ऐतबारपुर पो०—कुरथौल थाना—परसा बाजार जिला—पटना	कोकलीयर इन्फ्लान्ट	₹ 5,80,000 /—(पांच लाख अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,10,000 /—

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 13,10,000 /—(तेरह लाख दस हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 388036
.....मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

11.07.16

ज्ञापांक 995(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री प्रमोद कुमार स.वि.स. मोतिहारी/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

11.07.16